



कार्यालय अधिष्ठाता

छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा (म.प्र.) 480001

(An Institute Under Government of Madhya Pradesh)

Email: deanmedicalcollegechhindwara@gmail.com

दूरभाष - 07162-297009



क्रमांक/अधिष्ठाता/सिम्स/2026/2214

छिन्दवाड़ा, दिनांक:-10-02-26

-: नोटिस इन्वाइटिंग कोटेशन :-

छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा महाविद्यालय बिल्डिंग के परीक्षा हॉल में छत से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। रिसाव के कारण परीक्षा हॉल में जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है, जिससे दीवारों एवं छत पर सीलन, फंगस एवं नमी होने से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों तथा स्टाफ को श्वसन एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की आशंका है। साथ ही विद्युत करंट फैलने एवं विद्युत उपकरण जैसे-कम्प्यूटर, प्रिंटर, पंखे एवं ट्यूबलाइट के खराब होने की आशंका है।

उक्त हेतु इच्छुक एजेंसी/फर्म/ठेकेदारों द्वारा उपरोक्त परीक्षा हॉल का निरीक्षण करने के उपरांत सुधार कार्य हेतु एकमुश्त राशि का मुहरबंद कॉटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक एजेंसी/फर्म/ठेकेदार परीक्षा हॉल का निरीक्षण करने के उपरांत अपनी-अपनी दरें कोट करेंगे। कार्य पूर्ण होने के पश्चात् कार्यालय, मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला छिन्दवाड़ा में पदस्थ सिविल इंजीनियर के माध्यम से उपरोक्त कार्य का सत्यापन करवाया जाएगा।

उपरोक्त कार्य किये जाने हेतु अधिकृत इच्छुक एजेंसी/फर्म/ठेकेदारों से मुहरबंद कॉटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। कोटेशन जमा करने की प्रारंभ दिनांक-10/02/2026 एवं समाप्ति दिनांक-18/02/2026 शाम 4:00 बजे तक है।

सामान्य नियम एवं शर्तें:-

1. दिनांक- /02/2026 तक छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा महाविद्यालय बिल्डिंग के परीक्षा हॉल का निरीक्षण करने के उपरांत एकमुश्त राशि का इच्छुक एजेंसी/फर्म/ठेकेदारों को मुहरबंद कॉटेशन जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद इस पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. कोटेशन को संलग्न निर्धारित प्रारूप में अधिकृत एजेंसी/फर्म या उनके प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
3. कॉटेशन एक शीलबंद लिफाफे में होना चाहिए जिस पर इन्क्वायरी रीफरेंस नंबर अंकित होना अनिवार्य है।
4. दर (प्राइस विड) निर्धारित प्रपत्रों में भरकर स्वहस्ताक्षरित कर संस्था में जमा करना अनिवार्य है।
5. समस्त दरों को माल दुलाई शुल्क, बीमा इत्यादि चार्ज समेत दर प्रपत्र में भरना होगा।
6. समस्त कोटेड दर कॉटेशन ऑपन होने की तारीख से 180 दिन तक वैध होगी।
7. एल 1 (न्यूनतम दर) कम्पेरेटिव स्टेटेमेंट के आधार पर निर्धारित की जाएगी एवं न्यूनतम दर कार्यादेश जारी करने हेतु बाध्य नहीं होगी।
8. कार्य पूर्ण करने की अवधि कार्यादेश जारी करने की तिथि से अधिकतम 07 दिवस होगी।
9. यदि अधिकृत एजेंसी/फर्म/ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य पूर्ण करने में असफल होता है तो संस्था को उचित वैधानिक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

भुगतान की शर्तें-

10. निर्धारित समय के भीतर एजेंसी/फर्म द्वारा उपरोक्त कार्य संतोषजनक तरीके से करने तथा संस्था के प्रतिनिधि के निरीक्षण एवं कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला छिन्दवाड़ा में पदस्थ सिविल इंजीनियर के सत्यापन के बाद अधिकृत एजेंसी/फर्म द्वारा जी.एस.टी. सम्मिलित देयक प्रस्तुत करने के पश्चात् देयकों का प्रमाणन होने के पश्चात् भुगतान किया जावेगा।
11. विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
12. कार्य की आवृत्ति को घटाने अथवा बढ़ाने का अधिकार अधिष्ठाता, सिम्स छिन्दवाड़ा को होगा।
13. किसी भी कॉटेशन को बिना कारण बताए अमान्य करने का अधिकार सिम्स छिन्दवाड़ा के पास सुरक्षित होगा। इस संबंध में मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

for :- RAHIC

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस,
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

